

## हरियाणा सरकार

वन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 जनवरी, 1998

सं० सा० का० नि० 33/संवि०/अनु० 309/98.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा राज्य वन विभाग (गुप्त) विविध अनुभाग सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

## भाग I - सामान्य

1. (i) ये नियम हरियाणा, राज्य वन विभाग (गुप्त) विविध अनुभाग संक्षिप्त नाम तथा सेवा नियम, 1998, अंग्रेजी नाम हैं। प्रारम्भ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. इन नियमों में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, हरियाणा

(क) "अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, कर्मचारी चयन आयोग, हरियाणा;

(ग) "मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा;

(घ) "वन संरक्षक" से अभिप्राय है, वन संरक्षक, हरियाणा;

(ङ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में के पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा सरकार;

(छ) संस्था से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था; अथवा

(ii) इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था; या

(ज) "प्रधान मुख्य वन संरक्षक" से अभिप्राय है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा;

(झ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा, नियमित कोई विश्वविद्यालय; या

- (ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणाम स्वरूप प्राप्त उपाधि, उपाधि पत्र (डिप्लोमा) या प्रमाण पत्र की दशा में, पंजाब, सिंध या बांग्ला विश्वविद्यालय; या
- (iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो;
- (ज) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य वन विभाग (ग्रुप ग) विविध अनुभाग सेवा।

### भाग II—सेवा में भर्ती

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताये गये पद होंगे:

पदों की संख्या और उनका स्वरूप।

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थाई अथवा अस्थायी रूप से बनाने में सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र।

4. (1) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

- (क) भारत का नागरिक; या
- (ख) नेपाल की प्रजा; या
- (ग) भूटान की प्रजा; या
- (घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के आशय से आया हो; या
- (ङ) भारतीय भूल का व्यक्ति, जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जॉर्जिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो;

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ), या (ङ) से सम्बन्धित किसी प्रवर्ग का व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो, आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या ऐसी संस्था, यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उसके शान्ति-शांति चरित्रित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से सम्बन्धित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जायेगा, जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पूर्व 17 वर्ष की आयु से कम अथवा 35 वर्ष की आयु से अधिक का हो।

6. सेवा में पदों पर नियुक्ति प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा की जायेगी।

7. कोई भी व्यक्ति सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि सीधी भर्ती की दशा में, इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' के खाना 3 में उल्लिखित और सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 4 में उल्लिखित योग्यताएं तथा अनुभव न रखता हो:

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव सम्बन्धी अर्हताओं में नियुक्ति अधिकारी के विवेक पर 50 प्रतिशत सीमा तक ढील दी जा सकती, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से कुलंग प्रवर्गों में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव देने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो। ऐसा करने के लिये लिखित रूप कारण दिये जायेंगे।

8. कोई भी व्यक्ति,—

(क) जिसने जीवित पति/पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है; या

(ख) जिसने जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है, सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि सरकार की सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकता है।

आयु।

नियुक्ति प्राधि-  
कारी।

योग्यताएं।

अयोग्यताएं।

भर्ती का ढंग।

9. (1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी :—

(क) परिमण्डल मुख्य प्राध्यापक की दशा में,—

- (i) प्राध्यापकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ख) नाथन सहस्रीन्दार की दशा में,—

- (i) वन कानूनियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ग) तकनीकी सहायक की दशा में,—

- (i) सांख्यिकीय सहायकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(घ) मण्डलीय वन प्रचार अधिकारी की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ङ) सांख्यिकीय सहायक की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत अनुसंधान अनुवेषकों में से पदोन्नति द्वारा ; और
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(च) प्राध्यापक एवं सर्वेक्षक की दशा में,—

- (i) सर्वेक्षकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(छ) मुख्य मैकेनिक की दशा में,—

- (i) मैकेनिकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ज) वन कानूनियों की दशा में,—

- (i) पटवारी, सीमांकन एवं वन्यजीव अथवा सीमांकन दफ्तरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(झ) प्राध्यापक की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत ट्रेसरो में से पदोन्नति द्वारा ; तथा
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ञ) कलाकार की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ट) फोटोग्राफर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ठ) अनुसंधान अन्वेषक की दशा में,—

- (i) संगणकों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ड) सिनेमा सहायक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी अधिकारी/कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ढ) मैकेनिक की दशा में,—

- (i) ट्रैक्टर चालक, ट्यूबवैल आप्रेटर में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ण) चालक की दशा में,—

- (i) ट्रैक्टर, चालक, क्लीनर या वन विभाग के (ग्रुप घ) कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा ;
- (ii) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(त) ट्रैक्टर चालक की दशा में,—

- (i) 50 प्रतिशत क्लीनरों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(थ) सहायक मुख्य प्रचार अधिकारी की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(द) संगणक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ध) सर्वेक्षक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(न) ट्रैसर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(प) ट्यूबवैल आप्रेटर की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(फ) ट्यूबवैल मैकेनिक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(ब) वन पटवारी की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(भ) सीमांकन पर्यवेक्षक की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;



(म) सीमांकन दशम की दशा में,—

- (i) सीधी भर्ती द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(य) रैस्टोर की दशा में,—

- (i) दफतरियों में से पदोन्नति द्वारा ; या
- (ii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ;

(2) सभी पदोन्नतियाँ, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जाएंगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिष्ठा प्रदान नहीं करेगी।

परिबीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिए और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिए परिबीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

- (क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रति नियुक्ति पर व्यतीत की गई अवधि परिबीक्षा की अवधि के लिये गिनी जायेगी ;
- (ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में सेवा में किसी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर नियुक्ति गये कार्य की कोई अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर नियम के अधीन नियत परिबीक्षा अवधि में गिनने की अनुमति दी जा सकती है ; और
- (ग) स्थानापन्न नियुक्ति की कोई अवधि परिबीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न के रूप में कार्य किया है, परिबीक्षा की विहित अवधि के पूरी हो जाने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुनः नियुक्ति के लिये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, परिबीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो वह,—

- (क) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ;

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो,—

- (i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिनियुक्ति कर सकता है ; या
- (ii) उसके संबंध में ऐसी रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ;

(3) किसी व्यक्ति को परिबीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसकी राय में उसका कार्य तथा आचरण संतोषजनक रहा हो तो,—

- (i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो नियुक्ति की तिथि में पुष्ट कर सकता है ; या
- (ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो तो, स्थायी रिक्ति होने की तिथि में पुष्ट कर सकता है ; या
- (iii) यदि कोई स्थायी रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिबीक्षा-अवधि संतोषजनक ढंग में पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

- (i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिनियुक्ति कर सकता है या उसकी सम्बन्ध में ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है, जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तों अनुज्ञात करें ; या

- (ii) उसकी परिबीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिबीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था ;

परन्तु परिबीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई है, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता सेवा में किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहाँ सेवा में विभिन्न संवर्ग हों वहाँ ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग-अलग निश्चित की जाएगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता निम्न

प्रकारे समय, आयोग द्वारा निर्धारित योग्यता कम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित अनुसार निश्चित की जायेगी :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

ज्येष्ठता ।

- (ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;
- (ग) पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थानान्तरित किये गये थे ;
- (घ) विभिन्न सदस्यों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान्त ऐसे सदस्यों की दिया जाएगा जो अपनी पहिले की नियुक्ति में उच्चतर दर पर वेतन ले रहा था, और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी ज्येष्ठता नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जाएगी और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा ।

सेवा करने का दायित्व ।

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, हरियाणा राज्य में अथवा इसके बाहर किसी भी स्थान पर, सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा ।

(2) सेवा के निम्नी भी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन भी प्रतिनियुक्ति किया जा सकता है :—

- कोई कम्पनी, संगम या व्यक्ति, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण राज्य सरकार के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर, नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय ;
- केन्द्रीय सरकार या कोई ऐसी कम्पनी संगम या व्यक्ति, निकाय, चाहे वह नियमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; या
- कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत्त निकाय जिसका नियंत्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर-सरकारी निकाय ;

परन्तु सेवा के किसी सदस्य को उसकी सहमति के बिना खण्ड (ii) तथा (iii) में निर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा ।

वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा अन्य मामले।

13. वेतन, छुट्टी, पेंशन तथा ऐसे सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियंत्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन या राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई तथा उस समय लागू किसी विधि के अधीन अपनाए या बनाए गए हों अथवा इसके बाद अपनाए या बनाये जायें ।

14. (1) अनुशासन, शास्त्रियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियंत्रित होंगे :

अनुशासन, शास्त्रियां तथा अपीलें ।

परन्तु ऐसी शक्तियों का स्वरूप, जो लगाई जा सकती है, ऐसी शास्त्रियां लगाने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि अथवा नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए वे होंगे जो इन नियमों के परिशिष्ट "ग" में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम 9 के धप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश पारित करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा, जो इन नियमों के परिशिष्ट (ब) में विनिर्दिष्ट हैं ।

15. सेवा के प्रत्येक सदस्य से जब भी सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश टीका लगवाना । द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुनः टीका लगवायेगा ।

16. सेवा का प्रत्येक सदस्य से अब तक उसने पहले भारत के प्रति तथा विधि द्वारा राजनिष्ठा की शपथ । यथास्थानित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो, ऐसा करने की अपेक्षा की जाएगी ।

17. जहां, सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में डील देना आवश्यक या उचित हो वहां वह कारण लिखकर, आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है । डील देने की शक्ति ।

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे तो वह ऐसा कर सकता है । विशेष उपबन्ध ।

19. इन नियमों में दी गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग या वर्गों को दिये जाने के लिए अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी : आरक्षण ।

परन्तु इस प्रकार से किए गए आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

20. पंजाब वन अधिनियम सेवा (लिपिकीय अनुभाग) नियम, 1943, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हैं, इसके द्वारा निरक्षित किए जाते हैं :

निरसन तथा क्वांटि ।

परन्तु इस प्रकार से निरक्षित किये गये नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश अथवा की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जाएगी ।

परिशिष्ट क (देखिए नियम 3)						1	2	3	4	5	6
क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान						
		स्थाई	अस्थायी	चौड़ा							
1	2	3	4	5	6						
1	परिमण्डल मुख्य प्राध्यापक	---	2	2	2000-60-2300-द० रोज़-75-3200 रुपये	12	अनुसंधान अध्येक्षक	---	2	2	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये
2	नायब सहस्रीलदार	1	---	1	2000-60-2300-द० रोज़-75-3200 रुपये	13	मिनेमा सहायक	1	---	1	1200-30-1500-द० रोज़-40-2040 रुपये
3	तकनीकी सहायक	1	---	1	1640-60-2600-द० रोज़-75-2900 रुपये	14	मैकेनिक	5	---	5	1200-30-1500-द० रोज़-40-2040 रुपये
4	मण्डलीय वन प्रचार अधिकारी	---	2	2	1640-60-2600-द० रोज़-75-2900 रुपये	15	बालक	10	36	46	1200-30-1500-द० रोज़-40-2040 रुपये
5	सांख्यिकीय सहायक	---	7	7	1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	16	ट्रेक्टर चालक	27	49	76	1200-30-1500-द० रोज़-40-2040 रुपये
6	प्राध्यापक एवं सवैधक	1	---	1	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	17	सहायक मुख्य प्रचार अधिकारी	---	1	1	1200-30-1500-द० रोज़-40-2040 रुपये
7	मुख्य मैकेनिक	1	---	1	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	18	संगणक	1	---	1	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
8	वन कानूनगो	3	2	5	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	19	सर्वेक्षक	1	---	1	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
9	प्राध्यापक	5	5	10	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	20	ट्रेसर	2	---	2	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
10	कलाकार	---	1	1	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	21	ट्यूबवेल ऑपरेटर	11	---	11	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
11	फोटोग्राफर	---	1	1	1400-40-1600-50-2300-द० रोज़-60-2600 रुपये	22	ट्यूबवेल मैकेनिक	3	---	3	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
						23	वन पटवारी	6	6	12	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
						24	सीमांकन एवं सर्वेक्षक	3	---	3	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
						25	सीमांकन दरोगा	1	---	1	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये
						26	रैस्टोरर	---	1	1	950-20-1150-द० रोज़-25-1500 रुपये



परिशिष्ट ख (देखिए नियम 7)				1	2	3	Chief Conservator of Forests Haryana
क्रम संख्या	पदनाम	सोधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सोधी भर्ती के अन्यथा नियुक्त के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो।				
1	2	3	4				
1	परिमण्डल मुख्य प्रारूपकार	---	(1) पदोन्नति द्वारा--- प्रारूपकार के रूप में दस वर्ष का अनुभव ; (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से वास्तुकला सहायक में डिप्लोमा अथवा राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र (सिविल) (ii) प्रारूपकार के रूप में 12 वर्ष का अनुभव ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	3 तकनीकी सहायक	---	(1) पदोन्नति द्वारा--- सांख्यिकीय सहायक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ; या (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) अर्थ शास्त्र/कृषि अर्थशास्त्र/गणित वाणिज्य में मास्टर की डिग्री और जिसमें सांख्यिकीय मास्टर डिग्री या अर्थ शास्त्र/गणित/विज्ञान/कृषि विज्ञान में आनर्स डिग्री में एक विषय रहा हो ; (ii) सांख्यिकीय सहायक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	
2	नायब सहसीलदार	---	(1) पदोन्नति द्वारा--- वन पानुसंगी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) सीमांकित पर्यवेक्षक, सीमांकित दरोगा या पटवारी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ; (ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	मण्डलीय वन प्रचार अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष किसी संस्थान से बी० ए०/बी० वी० काम या इसके समकक्ष ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जन संचार में डिप्लोमा ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा-- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष किसी संस्थान से बी० ए०/बी० वी० काम या इसके समकक्ष ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जन संचार में डिप्लोमा ; (iii) मण्डलीय प्रचार अधिकारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	
				सांख्यिकीय सहायक	(i) अर्थ शास्त्र/कृषि अर्थशास्त्र गणित/वाणिज्य में मास्टर की डिग्री और जिसमें सांख्यिकीय मास्टर डिग्री या अर्थ शास्त्र/गणित/विज्ञान/कृषि में आनर्स डिग्री में एक विषय रहा हो ;	(1) पदोन्नति द्वारा-- अनुसंधान अनुवेष्टक के रूप में तीन वर्ष का अनुभव ;	



[illegible]



1	2	3	4
10	कलकार	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षा बोर्ड अथवा संस्थान में इंटरमीडिएट/10+2 अथवा इसके समकक्ष ;  (ii) राजकीय कला महाविद्यालय या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ललित-कला में डिग्री ;  (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय शिक्षा बोर्ड या संस्थान में इंटरमीडिएट/10+2 अथवा इसके समकक्ष ।  (ii) राजकीय कला महाविद्यालय या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थान अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ललितकला में डिग्री ;  (iii) शिल्पकार के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;  (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
11	फोटोग्राफर	(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष ;  (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या कला विद्यालय अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा ;  (iii) किसी प्रसिद्ध फोटोग्राफर स्थापना से मौलिक अहंता प्राप्त करने के बाद फोटोग्राफी में कम से कम एक वर्ष का अनुभव का प्रमाण-पत्र ;  (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा  (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय शिक्षा बोर्ड या संस्थान में दसवीं या इसके समकक्ष शिक्षा ;  (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या कला विद्यालय अथवा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वाणिज्यिक कला में डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र ;  (iii) फोटोग्राफर के रूप में एक वर्ष का अनुभव ;  (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

2	3	4
अनुसंगत अन्वेषक	---	(1) पदोन्नति द्वारा,— संगणक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; या (2) स्थानान्तरण अथवा द्वारा,— (i) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से द्वितीय श्रेणी में दसवीं या इसके समकक्ष, (ii) संगणक में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में संगणना मशीन चलाने का ज्ञान ; (iii) संगणक के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
सिनेमा सहायक	(i) मुख्य बिजली निरीक्षक हरियाणा सरकार अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिया गया सिनेमाटोग्राफ की व्यवस्था अथवा परिचालन की क्षमता रखने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ; (ii) सभी प्रकार के फिल्म प्रोजेक्टर एपीडियास्कोप, टेप रिकार्डर, जनरेटिंग सेट, रिकार्ड चेजर और एम्पलीफायर से संचालन का कार्य चालन ज्ञान ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति,— द्वारा,— (i) मुख्य बिजली निरीक्षक, हरियाणा सरकार अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दिया गया सिनेमाटोग्राफ की व्यवस्था अथवा परिचालन की क्षमता रखने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र ; (ii) सिनेमा ऑपरेटर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव ; (iii) सभी प्रकार के फिल्म प्रोजेक्टर एपीडियास्कोप, टेप रिकार्डर, जनरेटिंग सेट, रिकार्ड चेजर और एम्पलीफायर से संचालन का कार्य चालन ज्ञान ; (iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।
मैकेनिक	(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान से मोटर मैकेनिक अथवा फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र ; (ii) किसी प्रसिद्ध वर्कशॉप में तीन वर्ष का अनुभव ; (iii) दसवीं तक हिन्दी का ज्ञान ।	टैक्टर चालक, नलकूप चालक के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ।

1	2	3	4
15	चालक	(i) आठवीं पास ; (ii) हल्का यातायात वाहन चलाने का लाईसेंस ; (iii) पेट्रोल, इलैक्ट्रीकल, डीजल इंजन संचालन का कार्यचालन ज्ञान ; (iv) हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।	(i) ट्रेक्टर चालक/क्लीनर या गुप कर्मी का रूप में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें पेट्रोल, इलैक्ट्रीकल, डीजल वाहन चलाने का कार्यचालन ज्ञान हो। 1. पदोन्नति द्वारा,— (i) क्लीनर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेक्टर ड्राईविंग लाईसेंस ; (ii) पेट्रोल, डीजल, इलैक्ट्रीकल चालन के संचालन का कार्यचालन ज्ञान।
16	ट्रेक्टर चालक	(i) आठवीं पास ; (ii) ट्रेक्टर ड्राईविंग लाईसेंस ; (iii) हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष संस्थान में बी.ए./बी.एस. या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
17	महायुक्त मुख्य प्रचार अधिकारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष संस्थान में बी.ए./बी.एस. या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(i) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा इसके समकक्ष संस्थान में बी.ए./बी.एस. या इसके समकक्ष ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
18	संगणक	(i) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में द्वितीय श्रेणी में दसवीं या इसके समकक्ष ; (ii) संगणक में डाटा एंटरी आपरेटर के रूप में संगणना मशीन चलाने का ज्ञान ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(i) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) संगणक के रूप में पांच साल का अनुभव ; (ii) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में द्वितीय श्रेणी में दसवीं या इसके समकक्ष ज्ञान ; (iii) संगणक में डाटा एंटरी आपरेटर के रूप में संगणना मशीन चलाने का ज्ञान ; (vi) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
19	सर्वेक्षक	(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृषकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(i) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) सर्वेक्षक के रूप में सात वर्ष का अनुभव ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृषकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

1	2	3	4
20	ट्रेसर	(i) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृषकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र ; (ii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) ट्रेसर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में प्राकृषकार (सिविल) के लिये राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र ; (iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
21	टयूबवैल आपरेटर	(i) आठवीं पास ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर मैकेनिक या फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण पत्र ; (iii) किसी प्रसिद्ध फर्म और संगठन में टयूबवैल इंजन और पम्पिंग सैट चलाने का दो वर्ष का अनुभव ; (iv) हिन्दी पढ़ तथा लिख सकता हो।	(1) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) टयूबवैल आपरेटर के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) आठवीं पास ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर मैकेनिक या फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र ; (iv) किसी प्रसिद्ध फर्म और संगठन में टयूबवैल इंजन और पम्पिंग सैट चलाने का दो वर्ष का अनुभव ; (v) आठवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
22	टयूबवैल मैकेनिक	(i) आठवीं पास ; (ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर मैकेनिक या फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र ; (iii) किसी प्रसिद्ध फर्म या संगठन में टयूबवैल के अनुरक्षण का एक वर्ष का अनुभव ; (iv) हिन्दी पढ़ लिख सकता हो।	1. स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) टयूबवैल मैकेनिक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) आठवीं पास ; (iii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में मोटर मैकेनिक या फिटर का राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण-पत्र ; (iv) किसी प्रसिद्ध फर्म और संगठन में टयूबवैल के रख रखाव का एक वर्ष का अनुभव ; (v) हिन्दी पढ़ लिख सकता हो।
23	वन पटवारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय शिक्षा बोर्ड या संस्थान में दसवीं या इसके समकक्ष ;	1. स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,— (i) पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ; (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय,



1	2	3	4
	(ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	विद्यालय शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष शिक्षा ;
	(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	
24 सीमांकन पर्यवेक्षक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/विद्यालय शिक्षा बोर्ड अथवा संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष ;	(i) पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;	1. स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,—
	(ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, विद्यालय/शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं या इसके समकक्ष शिक्षा ;	(i) पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
	(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं अथवा इसके समकक्ष ;
		(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;
25 सीमांकन दरोगा	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/विद्यालय बोर्ड या संस्थान से दसवीं कक्षा अथवा इसके समकक्ष ;	(i) पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;	1. स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,—
	(ii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं अथवा इसके समकक्ष ;	(i) पटवारी के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
	(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;	(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/शिक्षा बोर्ड या संस्थान से दसवीं अथवा इसके समकक्ष ;
		(iv) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) पटवार प्रशिक्षण विद्यालय, हरियाणा सरकार या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पटवार प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र ;
26 रैस्टोरर	—	(1) पदोन्नति द्वारा,—	(i) पदोन्नति द्वारा,—
		(2) स्थानान्तरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा,—	(ii) रैस्टोरर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
		(i) दफ्तरी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ;	(i) दफ्तरी के रूप में 10 वर्ष का अनुभव ;
		(ii) रैस्टोरर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;	(ii) रैस्टोरर के रूप में पांच वर्ष का अनुभव ;
		(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	(iii) दसवीं स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[दिखिए नियम 14 (1) ]

क्रम संख्या	पर का नाम नियुक्ति प्राधिकारी	शास्ति का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1 परिमण्डल मुख्यालय	प्रधान मुख्य	1. छोटी शास्तियां (i) वैयक्तिक, फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुये चेतावनी ;	मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2 नायब तहसीलदार		(ii) परिनिन्दा ;			
3 तकनीकी सहायक		(iii) पदोन्नति रोकना ;			
4 मण्डलीय वन प्रचार अधिकारी		(iv) आदेशों को उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम या व्यक्ति निकाय चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन सम्बन्धी हानि को पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; और			
5 सांख्यिकीय गृहांक					
6 प्रारूपकार एवं सर्वेक्षक					
7 मुख्य सूचकेतिक वन कानूनगो					
8 प्रारूपकार					
9 कलाकार					
10 फोटोग्राफर					
11 अनुसंधान अन्वेषक					
12 सिनेमा सहायक					
13 मैकेनिक					
14 चालक					
15 ट्रैक्टर चालक					
16 सहायक मुख्य प्रचार अधिकारी					
		2. बड़ी शास्तियां—			
		(vi) संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धियां रोकना ;			
			प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सरकार	



1	2	3	4	5	6
18	संगणक				
19	सर्वेक्षण				
20	ट्रेसर				
21	ट्यूबवैल ऑपरेटर				
22	ट्यूबवैल मैकेनिक				
23	वन पटवारी				
24	सीमांकन पर्यवेक्षक				
25	सीमांकन दरोगा				
26	रैस्टोरर				

एच० बी० दिवोदिया,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,  
वन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT  
FOREST DEPARTMENT  
Notification

The 29th January, 1998

No. G. S. R. 33/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana State Forest Department (Group C) Miscellaneous Section Service, namely :—

## PART I.—GENERAL

1. (1) These rules may be called the Haryana Forest Department (Group C) Miscellaneous Section Service Rules, 1998.

Short title and commencement.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Additional Principal Chief Conservator" means Additional Chief Conservator of Forests, Haryana;

(b) "Commission" means the Staff Selection Commission, Haryana;

(c) "Chief Conservator" means the Chief Conservator of Forests, Haryana;

(d) "Conservator" means Conservator of Forests Haryana;

(e) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the Service or by transfer of an official already in the service of the Government of India or any State Government;

(f) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department;

(g) "institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana; or

(ii) any other institution recognized by the Government for the purpose of these rules;

(h) "Principal Chief Conservator" means Principal Chief Conservator of Forests, Haryana;

(i) "recognised university" means,—

(i) any University incorporated by law in India; or

(ii) in the case of a degree, diploma, or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other University which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of rules;

(j) "Service" means the Haryana State Forest Department (Group-C) Miscellaneous Section, Service.



54

906

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 14, 1998  
(CHTR. 24, 1920 SAKA)

## PART II—RECRUITMENT TO SERVICE

Number and  
Character of  
posts.

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts, with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality,  
domicile and  
character of  
candidates  
appointed to  
the service.

4. (1) No person shall be appointed to any post in the Service unless he is,—

- (a) a citizen of India ; or
- (b) a subject of Nepal ; or
- (c) a subject of Bhutan ; or
- (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or
- (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) and (e), shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government.

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produces a certificate of character from the Principal Academic Officer of the University, College, School or Institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his University, College, School or Institution.

Age.

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, who is less than seventeen years or more than thirty five years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission:

Appointing  
authority.

6. Appointments to the posts in the service shall be made by the Principal Chief Conservator of Forests.

HARYANA GOVT GAZ., APRIL 14, 1998  
(CHTR. 24, 1920 SAKA)

907

Qualifications.

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in column 3 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in column 4 of the aforesaid Appendix in the case of appointment other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50% at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Ex-servicemen and Physically Handicapped Categories, possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserved for them, after recording reasons for so doing in writing.

8. No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living ; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any post in the Service :

Disqualifications.

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. (1) Recruitment to the Service shall be made —

Method of  
recruitment.

(a) in the case of Circle Head Draftsman,—

- (i) by promotion from amongst Draftsman ; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(b) in the case of Naib Tehsildar,—

- (i) by promotion from amongst the Forest Kanungo ; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India ;

(c) in the case of Technical Assistant,—

- (i) by promotion from amongst the Statistical Assistant ; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India ;



## (d) in the case of Divisional Forest Publicity Officer,—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (e) in the case of Statistical Assistant,—

- (i) 50% by promotion from amongst the Research Investigator and
- (ii) 50% by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (f) in the case of Draftsman-cum-Surveyor,—

- (i) by promotion from amongst the Surveyors; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (g) in the case of Head Mechanic,—

- (i) by promotion from amongst the Mechanic;
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (h) in the case of Forest Kanungo,—

- (i) by promotion from amongst the Patwaris, Demarcation Supervisor, or Demarcation Daroga;
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (i) in the case of Draftsman,—

- (i) 50% by promotion from amongst Tracers; and
- (ii) 50% by direct recruitment; or by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (j) in the case of Artists,—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (k) in the case of Photographer,—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (l) in the case of Research Investigator,—

- (i) by promotion from amongst the Computers; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (m) in the case of Cinema Assistant,—

- (i) by direct recruitment; or
- (ii) by transfer or deputation of an officer/official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (n) in the case of Mechanic,—

- (i) by promotion from amongst the Tractor Drivers, or Tubewell Operators; or
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

## (o) in the case of Driver,—

- (i) by promotion amongst the Tractor Drivers, Cleaners or Group D employees in the Forest Department;
- (ii) by direct recruitment; or
- (iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(p) in the case of Tractor Driver,—

(i) 50 % by promotion from amongst Cleaners; and

(ii) 50 % by direct recruitment; or

(iii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(q) in the case of Assistant to Chief Publicity Officer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(r) in the case of Computer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(s) in the case of Surveyor,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(t) in the case of Tracer,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(u) in the case of Tubewell Operator,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(v) in the case of Tubewell Mechanic,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(w) in the case of Forest Patwari,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(x) in the case of Demarcation Supervisor,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(y) in the case of Demarcation Daroga,—

(i) by direct recruitment; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(z) in the case of Restorer,—

(i) by promotion from amongst the Darogies; or

(ii) by transfer or deputation of an official already in the service of any State Government or the Government of India;

(2) All promotions unless otherwise provided shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority alone shall not confer any right to such promotions.

10. (1) Persons appointed to any post in the service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise ;

Probation.

Provided that —

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation ;

(b) any period of work in equivalent or higher rank prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule ; and

- (c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall, on the completion of the prescribed period of probation, be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.
- (2) If, in the opinion of the appointing authority, the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—
- (a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his services ; and
- (b) if such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—
- (i) revert him to his former post ; or
- (ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.
- (3) on the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—
- (a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—
- (i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed against the permanent vacancy ; or
- (ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy ; or
- (iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or
- (b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—
- (i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed otherwise, revert him to his former post or deal with him in such other manner, as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or
- (ii) extend his period of probation and thereafter pass such order, as it could have passed on the expiry of the first period of probation :
- Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

11. Seniority, *inter se* of the members of the Service shall be determined by the length of continuous service on any post in the Service:

Seniority.

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of members appointed by direct recruitment, the order of merit determined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

- (a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer ;
- (b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;
- (c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer, seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and
- (d) in the case of members appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher rate of pay in his previous appointment; and if the rates of the pay drawn are also the same, then by the length of their service in the appointment ; and if the length of such service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

12. (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do, by the appointing authority.

Liability to serve.

- (2) A member of the Service may also be deputed to serve as under—
- (i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government, a municipal corporation or a local authority or university, within the State of Haryana ;
- (ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or
- (iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Government or a private body :

Provided that no member of the Service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.



Pay, leave,  
pension and  
other matters.

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be, adopted or made by the competent authority under the Constitution of India or under any law for the time being in force made by the State Legislature.

Discipline,  
penalties  
and  
Appeals.

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, the members of Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987 as amended from time to time :

Provided that the nature of penalties which may be imposed the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or clause (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination.

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and re-vaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance.

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxa-  
tion.

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provision.

18. Notwithstanding anything contained in these rules, the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservations.

19. Nothing contained in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the orders issued by the State Government in this regard, from time to time;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty per cent, at any time.

Repeal and Saving.

20. The Punjab Forest Subordinate Service (Ministerial Section) Rules, 1943, which are in force immediately before the commencement of these rules, are hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rules, so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

## APPENDIX A

(See rule 3)

Sr. No.	Designation of posts	Number of posts			Scale of Pay
		Perma- nent	Tempo- rary	Total	
1	2	3	4	5	6
					Rs.
1	Circle Head Draftsman	—	2	2	2000—60—2300—EB—75—3200
2	Naib Tehsildar	1	—	1	2000—60—2300—EB—75—3200
3	Technical Assistant	1	—	1	1640—60—2600—EB—75—2900
4	Divisional Forest Publicity Officer	—	2	2	1640—60—2600—EB—75—2900
5	Statistical Assistant	—	7	7	1640—50—2300—EB—60—2600
6	Draftsman-cum-Surveyor	1	—	1	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
7	Head Mechanic	1	—	1	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
8	Forest Kanungo	3	2	5	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
9	Draftsman	5	5	10	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
10	Artist	—	1	1	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
11	Photographer	—	1	1	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600
12	Research Investigator	—	2	2	1400—40—1600—50—2300—EB—60—2600



1	2	3	4	5	6
13	Cinema Assistant	1	—	1	1200—30—1500—EB—40—2040
14	Mechanic	5	—	5	1200—30—1500—EB—40—2040
15	Driver	10	36	46	1200—30—1500—EB—40—2040
16	Tractor Driver	27	49	76	1200—30—1500—EB—40—2040
17	Assistant to Chief Publicity Officer	—	1	1	1200—30—1500—EB—40—2040
18	Computer	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
19	Surveyor	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
20	Tracer	2	—	2	950—20—1150—EB—25—1500
21	Tubewell Operator	11	—	11	950—20—1150—EB—25—1500
22	Tubewell Mechanic	3	—	3	950—20—1150—EB—25—1500
23	Forest Patwari	6	6	12	950—20—1150—EB—25—1500
24	Demarcation Supervisor	3	—	3	950—20—1150—EB—25—1500
25	Demarcation Daroga	1	—	1	950—20—1150—EB—25—1500
26	Restorer	—	1	1	950—20—1150—EB—25—1500

## APPENDIX B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of Posts	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
2	3	4	
1	Circle Head Draftsman	—	(1) By Promotion— 10 years experience as Draftsman. (2) By transfer or deputation— (i) Diploma in architecture Assistantship ; or National Trade certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a Recognised Institute; (ii) 12 years experience as Draftsman ; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.
2	Naib Tehsildar	—	(1) By Promotion — 5 years experience as Forest Kanungo. (2) By transfer or deputation— (i) 10 years experience as Demarcation Supervisor, Demarcation Daroga or Patwari; (ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised institute ; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.

1	2	3	4	1	2	3	4
3	Technical Assistant		(1) By Promotion— 3 years experience as Statistical Assistant. (2) By transfer or deputation— (i) Master degree in Economics/Agriculture/Economics/Mathematics/Commerce, with Statistical as one of the papers at Master Degree or at the level of Honors Degree in Economics/Mathematics/Science/Agriculture Science; (ii) Five years experience as Statistical Assistant; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	6	Draftsman-cum-Surveyor	—	(1) By Promotion— (i) Five years experience as surveyor. (2) By transfer or deputation— (i) National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from recognised institute; (ii) Seven years experience as surveyor; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.
4	Divisional Forest Publicity Officer	(i) B. A./B. Com. or equivalent from a recognised University or its equivalent institute; (ii) Diploma in Mass Communication from a recognised University or Institute; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard;	(1) By transfer or deputation— (i) B. A./B. com. or equivalent from a recognised University or its equivalent Institute; (ii) Diploma in Mass Communication from a recognised University or Institute; (iii) 5 years experience as Divisional Publicity Officer; (iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.	7	Head Mechanic	—	(1) By Promotion— (i) Seven years experience as mechanic. (2) By transfer or deputation— (i) National Trade Certificate for Motor Mechanic or Fitter from Industrial Training Institute or any other recognised institute; (ii) Seven years experience as mechanic; (iii) Three years experience of reputed workshop; (iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.
5	Statistical Assistant	(i) Master degree in Economics/Agriculture Economics/Mathematics/Commerce, with Statistics as one of the papers at Master Degree or at the level of Honors degree in Economics/Maths Science/Agriculture Science; (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(1) By Promotion— (i) Three years experience as Research Investigator; (2) By transfer or deputation— (i) Master degree in Economics/Agricultural Economics/Mathematics/Commerce, with statistics as one of the papers at Master Degree or at the level of Honors degree in Economics/Maths Science/Agriculture Science; (ii) Five years experience as Research Investigator; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	8	Forest Kanungo	—	(1) By Promotion— Seven years experience as Patwari, Demarcation Supervisor/Demarcation/Darogha. (2) By transfer or deputation— (i) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School/Education Board or Institute;

1	2	3	4	5	6	7	8
			(ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute;		(iii) Certificate of having atleast one Year experience in photography Technique after acquiring basic qualification from a reputed photographer establishment;	Training Institute;	(iii) One year experience as photographer;
			(iii) Ten years experience as Patwari;	Research Investigator	(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.		(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.
			(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.		—		(1) By promotion— (i) Five years experience as Computer.
9. Draftsman	(i) Diploma in Architecture Assistantship, or National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised Institute;	(1) By promotion— Five years experience as Tracer; (2) By transfer or deputation— (i) Diploma in Architecture Assistantship, or National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised Institute;	(i) By promotion— Five years experience as Tracer; (2) By transfer or deputation— (i) Diploma in Architecture Assistantship, or National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised Institute;				(2) By transfer or deputation— (i) Matriculation with 2nd division or equivalent qualification from Haryana School Education Board or recognised institute;
	(ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(ii) Seven years experience as Tracer;	(ii) Seven years experience as Tracer;				(ii) Knowledge to operate calculating machine as data entry operator in Computer;
		(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	Cinema Assistant			(iii) Seven years experience as computer;
							(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.
10. Artist	(i) Intermediate/10+2 or its equivalent from a recognised University or School Education Board or Institute;	(i) By transfer or deputation— (i) Intermediate/10+2 or its equivalent from a recognised University or School Education Board or Institute;	(i) By transfer or deputation— (i) Intermediate/10+2 or its equivalent from a recognised University or School Education Board or Institute;		(i) Certificate of competency to handle and operate Cinema-tograph awarded by the Chief Electrical Inspector, Government of Haryana or from any other recognised Institute;	(1) By transfer or deputation— (i) Certificate of competency to handle and operate Cinema-tograph awarded by the Chief Electrical Inspector, Government of Haryana or from any other recognised Institute;	
	(ii) Degree in fine arts from Government Art College or any other recognised Institute or Industrial Training Institute;	(ii) Degree in fine arts from Government Art College or any other recognised Institute or Industrial Training Institute;	(ii) Degree in fine arts from Government Art College or any other recognised Institute or Industrial Training Institute;		(ii) Working knowledge of handling all type of the film projector's Epidiascope, Tape Recorders Generating Sets, Record Changer and Amplifier;	(ii) Working knowledge of handling all type of the film projector's Epidiascope, Tape Recorders, Generating Sets, Record Changer and Amplifier;	
	(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(iii) One year experience as Artist;	(iii) One year experience as Artist;		(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard	(iii) Three years experience as Cinema Operator;	
		(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.			(iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.	
11. Photographer	(i) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute;	(i) By transfer or deputation— (i) Matriculation or its equivalent from a recognised University School Education Board or Institute;	(i) By transfer or deputation— (i) Matriculation or its equivalent from a recognised University School Education Board or Institute;	Mechanic	(i) National Trade Certificate for Motor Mechanic or fitter from Industrial Training Institute or from any other recognised Institute;	Five years experience as Tractor Driver/Tubewell Operator.	
	(ii) Diploma in Commercial Art of a recognised Institute or School of Art or Industrial Training Institute;	(ii) Diploma in Commercial Art of a recognised Institute or School of Art or Industrial Training Institute;	(ii) Diploma in Commercial Art of a recognised Institute or School of Art or Industrial Training Institute;		(ii) Three years experience in a reputed workshop;		
					(iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.		



1	2	3	4
15. Driver	(i) Middle Pass; (ii) Licence for driving light traffic vehicle; (iii) Working knowledge of handling Petrol, Electrical Diesel Engines; (iv) Should be able to read and write Hindi.	Five years experience as Tractor Driver/Cleaner or Group D employee having licence for driving light vehicle.	
16. Tractor Driver	(i) Middle Pass; (ii) Tractor Driving Licence; (iii) Should be able to read and write Hindi	(i) By promotion— (i) Five years experience as cleaner; (ii) Licence for tractor driving from recognised Institute; (iii) Working knowledge of handling Petrol, Diesel, Electrical Engines.	
17. Assistant to Chief Publicity Officer	(i) B.A./B.Com. or its equivalent from a recognised university or its equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) B.A./B.Com. or its equivalent from a recognised university or its equivalent; (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	
18. Computer	(i) Matriculation with 2nd division or equivalent qualification from Haryana School Education Board or recognised institute; (ii) Knowledge to operate calculating machine as data entry operator in Computer; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as computer; (ii) Matriculation with 2nd division or equivalent qualification from Haryana School Education Board or recognised institute; (iii) Knowledge to operate calculating machine as data entry operator in Computer; (iv) Knowledge of Hindi upto matric standard.	
19. Surveyor	(i) National Trade Certificate for draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised institute; (ii) Knowledge of Hindi up to matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) Seven years experience as surveyor; (ii) National Trade Certificate for draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised institute; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	

1	2	3	4
20. Tracer	(i) National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised institute; (ii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as tracer; (ii) National Trade Certificate for Draftsman (Civil) from Industrial Training Institute or from a recognised institute; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	
21. Tubewell Operator	(i) Middle Pass; (ii) National Trade certificate in Motor Mechanic or fitter from Industrial Training Institute or from any other recognised Institute; (iii) Two years experience of handling tubewell, engines and pumping sets in a reputed firm or organisation; (iv) Should be able to read and write Hindi.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as tubewell operator; (ii) Middle Pass; (iii) National Trade certificate in Motor Mechanic or fitter from Industrial Training Institute or from any other recognised Institute; (iv) Two years experience of handling tubewell, engines and pumping sets in reputed firm or organisation; (v) Knowledge of Hindi up to middle standard.	
22. Tubewell Mechanic	(i) Middle Pass; (ii) National Trade certificate in Motor Mechanic or fitter from Industrial Training Institute or from any other recognised Institute; (iii) One year experience in maintenance of tubewells in a reputed firm or organisation; (iv) Should be able to read and write Hindi.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as tubewell mechanic; (ii) Middle Pass; (iii) National Trade certificate in Motor Mechanic or fitter from Industrial Training Institute or from any other recognised Institute; (iv) One year experience in maintenance of tubewells in a reputed firm or organisation; (v) Knowledge of Hindi up to middle standard.	
23. Forest Patwari	(i) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised institute; (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as Patwari; (ii) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (iii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute; (iv) Knowledge of Hindi up to matric standard.	



1	2	3	4
24. Demarcation Supervisor	(i) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute; (iii) Knowledge of Hindi up to matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as Patwari; (ii) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (iii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute; (iv) Knowledge of Hindi up to matric standard.	
25. Demarcation Daroga	(i) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (ii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School or Government of Haryana or from recognised Institute; (iii) Knowledge of Hindi up to matric standard.	(i) By transfer or deputation— (i) Five years experience as Patwari; (ii) Matriculation or its equivalent from a recognised University/School Education Board or Institute; (iii) Certificate of Patwar Training from Patwar Training School of Government of Haryana or from recognised Institute; (iv) Knowledge of Hindi up to matric standard;	
26. Restorer	—	(1) By Promotion— Three years experience as Dastri; (2) By transfer or deputation— (i) Ten years experience as Dastri; (ii) Five years experience as restorer; (iii) Knowledge of Hindi up to matric standard.	

## APPENDIX C

[ See rule (14) 1 ]

Sr. No.	Designation of post	Appointing Authority	Nature of penalty	Authority empowered to impose penalty	Appellate authority	Second and final appellate authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Circle Head Draftsman	Transport Commissioner	Minor Penalties	Chief Conservator of Forests/Conservator of Forests	Additional Principal Chief Conservator of Forests	Principal Chief Conservator of Forests
2	Naib Tehsildar		(i) warning with a copy in the personal file (character roll);			
3	Technical Assistant		(ii) Censure;			
4	Divisional Forest Publicity Officer		(iii) withholding of promotion;			
5	Statistical Assistant		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or breach of orders to the Central Government or a State Government or to a company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled			
6	Draftsman-cum-Surveyor					
7	Head Mechanic					
8	Forest Kanungo					
9	Draftsman					
10	Artist					
11	Photographer					
12	Research Investigator					

[illegible]

## APPENDIX D

[See rule 14 (2)]

Sr. No.	Designation of posts	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second and Final appellate authority if, any
1	2	3	4	5	6
1	Circle Head Draftsman	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rule governing pension;	Principal Chief Conservator of Forests	Government	—
2	Naib Tehsildar				
3	Technical Assistant	(ii) terminating the appointment otherwise then on his attaining the age fixed for superannuation.			
4	Divisional Forest Publicity Officer				
5	Statistical Assistant				
6	Draftsman-cum-Surveyor				
7	Head Mechanic				
8	Forest Kanungo				
9	Draftsman				
10	Artist				
11	Photographer				
12	Research Investigator				
13	Cinema Assistant				

1	2	3	4	5	6
14	Mechanic				
15	Driver				
16	Tractor Driver				
17	Assistant to Chief Publicity Officer				
18	Computer				
19	Surveyor				
20	Tracer				
21	Tubewell Operator				
22	Tubewell Mechanic				
23	Forest Patwari				
24	Demarcation Supervisor				
25	Demarcation Daroga				
26	Restorer				

H. C. DISODIA,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,  
Forest Department.